

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

कोषागार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति- 2011 के अंतर्गत मेसर्स क्रिएटिव पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज (ए यूनिट ऑफ एस्टरा सैटलिंग्स प्रा0 लि0), शिवपुरी, बेउर मोड़, पटना को ₹ 2,11,811.00 (दो लाख ग्यारह हजार आठ सौ ग्यारह रूपए मात्र) अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक ईकाइयों को डी0जी0 सेट/कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना पर देय अनुदान हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-04.12.2014 में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-5046 दिनांक-12.12.14 के आलोक में मेसर्स क्रिएटिव पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज (ए यूनिट ऑफ एस्टरा सैटलिंग्स प्रा0 लि0), शिवपुरी, बेउर मोड़, पटना को ₹ 2,11,811.00 (दो लाख ग्यारह हजार आठ सौ ग्यारह रूपए मात्र) डी0जी0 सेट मद में अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- (i) ईकाई अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।
 - (ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।
 - (iii) ईकाई डी0जी0 सेट/कैप्टिव पावर संयंत्र/ गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग मात्र अपनी ईकाई के लिए करेगा।
2. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या-2492, दिनांक-11.07.2016 एवं आवंटनादेश संख्या-41/आं0 दिनांक-19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड - P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।
 3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
 4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से होगी।

कृ०प०उ०

5. इस राशि की प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का मेसर्स क्रिएटिव पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज (ए यूनिट ऑफ एस्टरा सैटलिंग्स प्रा0 लि0), शिवपुरी, बेउर मोड़, पटना को NEFT/RTGS के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-..... पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 3994 पटना, दिनांक 8/11/16
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / महप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स क्रिएटिव पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज (ए यूनिट ऑफ एस्टरा सैटलिंग्स प्रा0 लि0), शिवपुरी, बेउर मोड़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

2.7